न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 27 / 2022 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2022 / 227

अपीलाण्ट :—
छोटू कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी दशरथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी लिडियालय, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—
1. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्रीरामसिंह
2. मीठू कंवर बेवा रामसिंह
जातिगण — राजपूत, निवासीगण रामावास कलां, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान
3. मलाराम गोरा पुत्र श्री धाराराम, जाति जाट, निवासी खराड़ी, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान
4. चुतराराम पुत्र श्री तुलछाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम रामावास खुर्द, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान
5. सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, जिला पाली राजस्थान

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव
रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम हरियाल

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 23.08.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम रामादारा कलां नामान्तरकरण संख्या 996 दिनांक 28.02.2022 जो तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा ग्राम रामावास कलां तहसील जैतारण की सरहद से शामलाती खातेदारी की मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 82, 107 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 213, 83 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 214, 130 रकबा 33 बीघा की कृषि भूमि बतौर खातेदार रेस्पो संख्या 01 व 02 के नाम खातेदारी में इन्द्राज है। वक्त सेटलमेंट उक्त कृषि भूमि बलवीरसिंह के दादा व सायल लाड कंवर के ससुर हमीरसिंह पुत्र जोरावरसिंह के नाम बतौर खुदकाश्त दर्ज थी। पूर्वजों के समय से अपीलाण्ट व रेस्पो संख्या 01 व 02 की संयुक्त परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है। हमीरसिंह के मृत्यु के बाद उनके पुत्र फतेहसिंह के नाम उक्त कृषि भूमि का म्यूटेशन भरा गया। कालांतर में फतेहसिंह के निधन के बाद प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी अपीलाण्ट व उसकी बहनें भंवर कंवर, मीठू कंवर व नौरतन कंवर के नाम म्यूटेशन में शामिल नहीं किये गये। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 82 व 107 में अन्य खातेदार है तथा खसरा संख्या 214 / 130 रकबा 33 बीघा कृषि भूमि वर्तमान में रेस्पो संख्या 01 व 02 के पिता व पति रामसिंह का नाम भंवरसिंह भी था जो स्वर्गीय मंगलसिंह के गोद चले गये थे। कानूनन जो व्यक्ति गोद चला जाता है उसका उसकी नैसर्गिक पिता की सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं रहता

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

है। उक्त आशय का दावा अपीलाण्ट द्वारा सहायक कलक्टर, जैतारण में पेश किया गया तथा साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बअनवान बलवीरसिंह बनाम चन्दनसिंह वगैरह के नाम राजस्व विविध संख्या 265/2013 दर्ज किया जाकर प्रकरण विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.10.2013 को मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु आदेश फरमाया, जो आज भी प्रभावी है बावजूद इसके रेस्पो संख्या 01 व 02 द्वारा रेस्पो संख्या 03 एवं 04 को बेचान कर दिया, जिससे अपीलाधीन म्युटेशन मय आदेश काबिले खारिज है। अतः वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण यह भूमि नहीं बेच सकते है इस सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2017(1) पृष्ट संख्या 02, 10, 44 उच्चतम न्यायालय की नजीर देवराज डोगरा व अन्य बनाम लालचन्द जैन वगैरह दिनांक 10.03.1981, उच्च न्यायालय जयपुर एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 17887/2019 प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मयाद शुमार फरमाई जावे व जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान वकील अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए बताया कि वाद के विचाराधीन रहते अपील चलने योग्य नहीं है तथा न्यायालय, सहायक कलक्टर, जैतारण द्वारा वाद में जो भी निर्णय पारित होगा वह मान्य होगा तथा वांछित वाद में बेचान के दौरान किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। इस सन्दर्भ में वकील अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2017(1) पृष्ट संख्या 02, 10, 44 उच्चतम न्यायालय की नजीर देवराज डोगरा व अन्य बनाम लालचन्द जैन वगैरह दिनांक 10.03.1981, उच्च न्यायालय जयपुर एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 17887/2019 पेश किये जिनका अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि जैर आराजी से संबंधित प्रकरण न्यायालय, सहायक कलक्टर, जैतारण में बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का विचाराधीन है। उक्त अपील पेश होने तक किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्रभावी होने का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का मूल वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है जिसमें अपीलाण्ट को अनुतोष सक्षम न्यायालय में लंबित वाद में ही संभव है। केवल वाद का लंबित रहना वादग्रस्त आराजी के बेचान/हस्तान्तरण पर रोक का कारण नहीं माना जा सकता है। यदि अपीलाण्ट बेचान/हस्तान्तरण में रोक चाहता है तो न्यायालय, सहायक कलक्टर, जैतारण में लम्बित मूल वाद एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु चाराजोही करे।

अतः नामान्तरकरण संख्या 996 दिनांक 28.02.2022 को खारिज करने के कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होते है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपील में वर्णित तथ्यानुसार रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, जैतारण में बलबीर सिंह बनाम चन्दन सिंह वगैरह राजस्व विविध 255/2013 दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। अतः अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे परन्तु वाद बाहुल्यता रोकने के लिए संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में वाद का अंकन जमाबंदी में करे ताकि भूमि बेचान/हस्तान्तरण के समय पक्षकारों को न्यायालय में लंबित वाद की पूर्ण जानकारी मिल सके।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)